संख्याः 120 / XVII(1) / 05–100(प्रकोष्ठ) / 2004

प्रेषक,

एस. के. मुटटू
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांकः 29 मार्च, 2005

विषयः ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के ग्राम सैंज तराणु से हटाल तक अश्व मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 2004–05 में धनराशि का आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के ग्राम सैंज तराणु से हटाल तक अश्व मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण संस्तुत कुल रूपये 0.95 लाख (रूपये पिचानबे हजार मात्र) की धनराशि के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल उक्त अश्व मार्ग के निर्माण हेतु इतनी ही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

10– उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

11– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये।

क्रमशः 2

12– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी स्वयं समय–समय पर समीक्षा करेंगे।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

14– तकनीकी परीक्षण के उपरान्त यथा संशोधित औचित्यपूर्ण आगणन की प्रति भी संलग्न की जा रही हैं।

15– उक्त धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर मुख्य विकास अधिकारी को सूचित करते हुए सीधे कार्यदायी संस्था जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।

16– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अधीन लेखाशीर्षक "4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02–अनु0 जनजातियों का कल्याण–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय– 03–अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा– 00–" के मानक मद– "24–वृहत निर्माण कार्य" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 133/XXVII(2)/2004 दिनांकः 28 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस. के. मुटटू)
प्रमुख सचिव

संख्या–180(1)/XVII(1)/05–100(प्रकोष्ठ)/2004/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
6. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव,